

04/04/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विपन्न
कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 03/04/24
को पेश हो।

रजस जाके
पीठासीन
कार्य

03/04/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विपन्न
कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 16/04/24
को पेश हो।

16/04/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 13/04/24 को पेश हो।

3/04/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 23/04/24 को पेश हो।

23/04/24

पत्रावली पेश हुई। वकील आर्ची उपर। विधायीगण के सम्मन
Registeral delivery Report सहित प्राप्त जिते शामिल
पत्रावली किया जात है। विधायीगण के सम्मन शामिल
शुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उप. नहीं हुआ कर।
उन्हे विरुद्ध एगलगा तमिवाही अमल में लाई जानी है।
वकील आर्ची के बहल सुने ता निवेदन किया। वकील
आर्ची की बहल सुनी गई। बहल पर मनन किया।
पत्रावली ता अवलोकन किया गया मिलते उगीत होत
है कि आर्ची का आर्चना पर स्वीकार उरने योग्य है।
कर: नेश्वरमंदी निर्णय मला से लिखा जातर शामिल
पत्रावली किया जात है। पत्रावली फ़ैसल शुदार होकर
पत्रावली दफ्तर हो संख्या से उत है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 23/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

प्रभु वगैरा बनाम सवा वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील - श्री श्रीराम विश्णोई

निर्णय

दिनांक -

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र भंवरिया भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा भंडारिया के खेत खसरा संख्या 406/128 रकबा 6.2321 हैक्टर, खसरा संख्या 257 रकबा 0.4532 हैक्टर एवं खसरा संख्या 126 रकबा 0.0081 हैक्टर कुल रकबा 6.6934 हैक्टर स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र भंवरिया भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा भंडारिया के खेत खसरा संख्या 406/128 रकबा 6.2321 हैक्टर, खसरा संख्या 257 रकबा 0.4532 हैक्टर एवं खसरा संख्या 126 रकबा 0.0081 हैक्टर कुल रकबा 6.6934 हैक्टर की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांकको न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(विरेन्द्रसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्रार्थी</p> <p>1. प्रभु पुत्र कालू 2. द्वारका पुत्र कालू 3. भला पुत्र कालू जाति रबारी, निवासी भंडारिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</p>	<p>बनाम</p>	<p>विप्रार्थीगण</p> <p>1. सवा पुत्र जैमता 2. जेठाराम पुत्र धुडाराम 3. निम्बाराम पुत्र धुडाराम 4. भारता पुत्र शंकराराम 5. देरामाराम पुत्र शंकराराम जाति रबारी, निवासी भंडारिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 6. मफी पुत्री शंकराराम पति सरदारा जाति रबारी निवासी बोरला (भंवरिया) तहसील सेड़वा, बाड़मेर 7. वसू पुत्री सदा पति वगताराम जाति रबारी, निवासी सांवलारी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर, 8. ढेफी पुत्री सदा पति द्वारकाराम जाति रबारी, निवासी मीठडी तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर, 9. गीता पुत्री शंकराराम पति आसुराम जाति रबारी, निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर, 10. पुनमा पुत्र रुमा 11. आसू पुत्र रुपा 12. वीरा पुत्र सगता 13. मफा पुत्र सगता 14. भला पुत्र शंकरा 15. जोगाराम पुत्र रतनाराम 16. द्वारका पुत्र चिमना 17. केसा पुत्र चिमना 18. प्रतापा पुत्र जगा 19. भीमा पुत्र जगा 20. शंकरा पुत्र जगा जाति रबारी, निवासी भंडारिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर, 21. तहसीलदार सेड़वा</p>
--	--------------------	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।


राजस्व आवेदन संख्या 23/2024

दिनांक :

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र भंवरिया भू.अ. नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा भंडारिया के खेत खसरा संख्या 406/128 रकबा 6.2321 हैक्टर, खसरा संख्या 257 रकबा 0.4532 हैक्टर एवं खसरा संख्या 126 रकबा 0.0081 हैक्टर कुल रकबा 6.6934 हैक्टर के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।


नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।


(विरन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
०/८ सेड़वा
दिनांक

क्रमांक/भू.अ./2023/

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी प्रभु पुत्र कालू वगैरा।
3. विप्रार्थीगण सवा पुत्र जैमता वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।


उपखण्ड अधिकारी
०/८ सेड़वा